UPRB010036952026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1564/2026

राजकुमारी उम्र 41 वर्ष पत्नी मोतीलाल, निवासी पाकर, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी।

....आवेदिका/अभियुक्ता

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

...विपक्षी/अभियोगी।

11–06–2026

आवेदिका/अभियुक्ता **राजकुमारी** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अपराध संख्या **572/2025**, अन्तर्गत धारा–**319(2),318(4),338,336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता 2023**,थाना **कोतवाली नगर**, जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादिनी मुकदमा ने अपना प्लाट भूमि संख्या 215 रकबा 379.5 वर्ग मीटर स्थित देवानन्दपुर, पर०तह०सदर, जिला रायबरेली को रामसमुझ पुत्र बिना प्रसाद निवासी ग्राम पूरे शिवदीन खेड़ा मजरे पहनासा तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली से दिनाँक 31–10–2013 को क्रय किया था जिसका दाखिल खारिज दिनाँक 17–08–2022 को दर्ज खतौनी है दिनांक 18–08–2022 को सुमित्रा गुप्ता के नाम पर एक काल्पनिक सुमित्रा गुप्ता पत्नी देवकी प्रसाद गुप्ता उपरोक्त फर्जी आधार कार्ड व कूट रचित ढंग से काल्पनिक श्रीमती बबिता गुप्ता के नाम कूटरचित ढंग से दो एक फर्जी हिबानामा प्रतिपक्षी संख्या–2 व 3व राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ कर पंजीकृत किया है जिसका बैनामा दिनाँक 17–10–2025 को श्रीमती रजिया त्नी मो०इलियास के नाम पंजीकृत कर दिया गया।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी मुकदमा द्वारा गलत एवं फर्जी निराधार झूँठे असत्य अभिकथनों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता निर्दोष है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई छलकपट धोखा धड़ी आदि करते हुये किसी मूल्यवान सुरक्षा वसीयत या महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी नही की गयी है और न ही जालसाजी दस्तावेजों या

इलेक्ट्रानिक रिकार्ड को असली के रूप में प्रयोग किया गया है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी जनता का नही है। आवेदिका/अभियुक्ता न तो क्रेता है न ही विक्रेता है। आवेदिका/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नही है, वह अपनी विश्वसनीय जमानते देने को तैयार है, वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगी। तद्नुसार प्रार्थिनी /अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नही है, किंतु दौरान विवेचना उसकी अपराध में संलिप्तता पायी गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से यह बचाव लेने का प्रयास किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता को प्रस्तुत प्रकरण में झूँठा फंसाया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। दौरान विवेचना आवेदिका/अभियुक्ता का नाम प्रकाश में आने के आधार पर आवेदिका/अभियुक्ता को प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई छलकपट धोखा धड़ी आदि करते हुये किसी मूल्यवान सुरक्षा वसीयत या महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी किया जाना परिलक्षित नही होता है। प्रस्तुत प्रकरण मूलतः दीवानी प्रकृति का है। तथा प्रश्नगत बैनामा के निरस्तीकरण का वाद दीवानी न्यायालय में लम्बित है।

जहां तक उपरोक्त लिये गये बचावों का प्रश्न है, अभियोजन कथानक के अनुसार, वादिनी के प्लाट को दिनाँक 17–12–2022 को सुमित्रा गुप्ता के नाम से काल्पनिक सुमित्रा गुप्ता पत्नी देवकी प्रसाद के फर्जी आधार कार्ड व कूटरचित ढंग से काल्पनिक ढंग से श्रीमती बबिता गुप्ता के नाम से फर्जी हिबानामा पंजीकृत कराये जाने का आरोयप है। सह अभियुक्त अता मोहम्मद का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र इसी न्यायालय के आदेश दिनांकित 25–05–2026 से निरस्त किया जा चुका है। आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध समान अभियोग है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत दिये जाने का कोई पर्याप्त आधार व कारण नही पाया जाता है। तदानुसार आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता **राजकुमारी** की ओर से अपराध संख्या **572/2025,** अन्तर्गत धारा–**319(2),318(4),338,336(3),340(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,**थाना कोतवाली नगर, जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
11–06–2026

Renu Srivastava
Stenographr

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.06.11 13:14:02 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Raebareli